

अज्ञात वाहन दुर्घटना से हुई क्षति पर प्रतिकर वाहन बाबत आवेदन पत्र

## भाग-१

मैं ..... जो श्री ..... का पुत्र/पुत्री, विधवा हूँ और ..... (स्थान) का/की निवासी हूँ। शोटर यान दुर्घटना में घोर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हूँ और मुझे हुई धेर क्षतियों के लिए प्रतिकर से अनुदान के लिए आवेदन करता हूँ। जो क्षतियाँ मुझे हुई हैं उसकी बाबत आवश्यक विशिष्टियों नीचे दी गई हैं-

मैं ..... जो श्री ..... का पुत्र/पुत्री, विधवा हूँ और ..... (स्थान) का/की निवासी हूँ श्री/श्रीमती/कमारी ..... जो ..... का पुत्र/पुत्री या श्री/श्रीमती या श्रीमती/कमारी थी जिसको तारीख ..... को ..... स्थान पर पूर्ण हुई थी/क्षतियों हुई थी, मृत्यु/क्षतियों के लिए प्रतिकर के अनुदान के लिए विधिक प्रतिनिधि/अधिकारी के रूप में आवेदन करता हूँ/करती हूँ। दुर्घटना की बाबत विशिष्टियों और अन्य जानकारी नीचे दी गई है।

१. क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम .....  
पिता का नाम (थियाइत स्त्री या विधवा की दशा में उसके पति का नाम)  
पूरा पता .....  
.....  
.....  
.....

४. क्षतिग्रस्त मृत व्यक्ति का नाम .....  
५. आयु ..... जन्म दिनांक .....  
६. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति पुरुष है या स्त्री .....  
७. दुर्घटना का स्थान/तारीख और समय: .....  
८. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की उपजीविका .....  
९. क्षतियों की प्रकृति .....  
१०. जिस पुलिस थाने के अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या जिसमें दुर्घटना रजिस्टर कराई गयी थी उसका नाम और पता .....  
.....  
.....  
.....

११. जिस चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी ने क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की देखभाल की थी संस्करण का नाम और पता .....  
.....  
.....

१२. दावेदार/दावेदारों के नाम .....  
.....  
.....

१३. पता .....  
.....  
.....

१४. मृत व्यक्ति के साथ नातेदारी .....  
.....

१५. अन्य कोई जानकारी जो दावे के परिनिर्णय के लिए आवश्यक या सहायक संबंधी जाए .....  
.....

मैं शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर बताए गए सभी तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

x जो लागू न हो उसे काट दें।

दामेदार के हस्ताक्षर

भाग-II

(मोटर चाल अधिनियम 1988 की धारा 162 के अधीन)

मे/ हम ..... (नाम) मृतक/क्षतिग्रस्त ..... (नाम) के विधिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के रूप में बचनबद्ध करता हूँ/करते हैं कि यदि मुझे/हमे ..... (.....) की मृत्यु या घोर छपड़ति की प्रतिकूल के लिए किसी दावे के बदले या उसकी तुष्टि के रूप में मोटर चाल अधिनियम, 1988 या तारकमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन या अन्यथा कोई अन्य प्रतिकूल अविभासित किया जाता है तो मैं/हम ..... (नाम) अधिनियमित प्रतिकूल की रकम या प्रतिदौय बीमाकर्ता को अदा करूँगा/करेंगे।

मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

भाग-III

दावा जांच अधिकारी (सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी) द्वारा परिनिर्धारण आयुक्त (क्लेक्टर) को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम .....  
पता .....

2. दुर्घटना का स्थान, समय और तारीख  
जिस पुलिस थाने में दुर्घटना रजिस्टर करायी गयी .....  
जिस चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा व्यवसायी ने मृत्यु/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थी  
उसकी विशिष्टियां .....  
जिस व्यक्ति को समन किया गया था और जिनकी परीक्षा की गयी थी उनकी विशिष्टिया .....

सारकर भाग्ने सम्बन्धी मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु काति तथ्य सिद्ध हो गया है या नहीं ऐसा निष्कर्ष निकालने का कारण

प्रतिकर के शुभताम के लिए पत्र दावेदार या दावेदारों के नाम

पता

प्रतिकर की रकम जिसकी दावेदार की सदाय करने की सिफारिश की गयी है (एक से अधिक दावेदारों की दशा में व रकम बतायी जाएगी) जिसके लिए प्रत्येक दावेदार पत्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जायेंगे

3. कोई अन्य जानकारी या अन्य अभिलेख जो दावे का परिनिर्धारित करने के लिए सुसंगत या उपयोगी हो।

मुद्रा

दावा जांच अधिकारी (उपराष्ट्र अधिकारी) के हस्ताक्षर

तारीख

भाग-IV

दावा जांच अधिकारी की अभिशंख के अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किये जायें हैं/ नहीं

हस्ताक्षर  
प्रभारी अधिकारी  
सहायता शाखा